आम–सूचना

राज्य में पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रदूषण कारी वाहनों को नष्ट करने एंव सडक पर चलने में असक्षम वाहनों को कम करने के उद्देश्य से सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य), नियम 2021 के प्रावधानों के तहत "राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति –2025" जारी की जा रही है। इस हेतु विभाग द्वारा "राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति –2025" का प्रारूप तैयार कर आम जन से आपत्ति एवं सुझाव लिये जाने हेतु public domain में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त नीति के संबंध में आम जन द्वारा 15 दिवस में (दिनांक 05.06.2025 तक) आपत्ति एवं सुझाव विभागीय मेल आई.डी. transport.rules@rajasthan.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

आयुक्त,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

(प्रारूप नीति)

राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 7(558)/ परि/नियम/मु./2025/BA दिनांक/

कार्यालय आदेश- /2025

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025

राज्य में पर्यावरण सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रदूषण कारी वाहनों को नष्ट करने एवं सड़क पर चलने में असक्षम वाहनों को कम करने के उददेश्य से सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य), नियम 2021 के प्रावधानों के तहत यह नीति जारी की जा रही है। यह नीति पूर्व में विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2022 को जारी कार्यालय आदेश 13/2022 एवं दिनांक 13.07.2023 को जारी कार्यालय आदेश 17/2023 को अतिक्रमित करते हुए जारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 2(F)में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एवं मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) , नियम 2021 के तहत वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु स्क्रैप सेन्टर की स्थापना एवं नियंत्रण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश- 2025 तत्काल प्रभाव से जारी किये जा रहे हैं।

1. परिभाषायें -

(i) "स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से तात्पर्य परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु स्क्रैप सेंटर को अनुमत किये जाने वाले प्रमाण पत्र से है।

(ii) “रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी” से तात्पर्य मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 3(ठ) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी से है। इस हेतु परिवहन आयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होंगे।

(iii) “अपीलीय प्राधिकारी” से तात्पर्य मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 3(ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के नियम 9(5) के अनुसार किये गये कार्य के विरूद्ध नियम 15 के अंतर्गत की जाने वाली अपील हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी से है। राजस्थान राज्य में इस हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

(iv) इसके अतिरिक्त अन्य परिभाषयें मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) , नियम 2021 के नियम 3 के अनुरूप होंगी।

2. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु आवेदक की पात्रताएं-

2.1 मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 5 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग की स्थापना हेतु ऐसे व्यक्ति,फर्म,सोसाइटी, कंमपनी या विधि के अनुसार स्थापित न्यास पात्र होंगे एवं जिनके पास निम्न दस्तावेज हो-

(i) निगमन प्रमाण पत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम आधार ।

(ii) वैध जीएसटी रजिस्ट्रीकरण ।

(iii) वैध स्थायी खाता संख्या।

(iv) इसके अतिरिक्त नियम 5 में वर्णित अन्य समस्त अहर्ताओं की पालना करते हों ।

2.2 आवेदक के पास सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से प्रदूषण-निवारण और विघटन संबंधी कार्य करने के लिए सक्षम जनशक्ति और उपयुक्त उपकरण होने चाहिए।

2.3 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा को संचालित करने के लिए वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी होने पर, आवेदक को परिचालन शुरू करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों और पर्यावरण संरक्षण (जीवन समाप्ति) नियम, 2025 के अनुसार संग्रहण और विघटन केंद्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकता पूरी करने की सहमति देनी होगी।

2.4 आवेदक को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के रूप में परिचालन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) या आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रमाणन) या आईएसओ 45001 (व्यवसायिक , स्वास्थ्य और सुरक्षा) के आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का दायित्व लेना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आईएसओ प्रमाणपत्रों को उनकी समाप्ति से कम से कम 3 महीने पहले पुन: मान्य किया जाए।

2.5 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने से पूर्व नियम 5(b) के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना हेतु सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2.6 आवेदक को नियम 5(f) के तहत परिचालन प्रारंभ होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन अनुमोदन लिये जाने हेतु सहमति प्रस्तुत करनी होगी।

2.7 आवेदक को सभी लागू श्रम संहिताओं और अन्य सभी अधिनियमों या नियमों के प्रावधानों का पालन करने की वचनबद्धता रखने हेतु सहमति प्रस्तुत करनी होगी।

3. <u>पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु आवेदन -</u>

(i) एल श्रेणी के वाहनों के लिये

(ii) एम एन व अन्य श्रेणी के वाहनों के लिये

4. <u>फीस-</u>

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 6 में निर्धारित आवेदन फीस एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट देय होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि बैंक चालान/ डी.डी./बैंक गांरटी के रूप में दी जा सकेगी। बैंक गांरटी का प्रारूप परिष्टि-1 पर संलग्न है।

5. <u>पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना हेतु वांछित भूमि -</u>

5.1 एल श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिये न्यूनतम एक एकड भूमि आवश्यक होगी।

5.2 एमएन व अन्य श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिये न्यूनतम दो एकड भूमि आवश्यक होगी।

5.3 उक्त भूमि औद्योगिक श्रेणी की होना आवश्यक है।

5.4 भूमि आवेदक के स्वयं के नाम पर हो अथवा आवेदक द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज/किराये पर ली गई हो। इस हेतु आवेदक द्वारा पंजीकृत किरायानामा/लीज डीड एवं भूमि के दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5.5 उक्त भूमि न्यूनतम 18 मीटर चौडाई की अप्रोच रोड पर स्थित होना अनिवार्य होगा।

6. <u>पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा को अनुमत करने की प्रक्रिया -</u>

6.1 आवेदक द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना हेतु ऑनलाइन पोर्टल National Single Window System (NSWS) के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा। उक्त आवेदन के साथ आवेदन फीस, बैंक गारंटी तथा अपेक्षित एनओसी एवं अन्डरटेकिंग संलग्न की जायेगी।

6.2 आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर भूमि के दस्तावेजों/ मशीनों की स्थापना एवं कार्यशील होने की स्थिति की जांच किये जाने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा

नामित अधिकारी/जांच दल से जांच करवायी जायेगी।उक्त अधिकारी/जांच दल द्वारा स्क्रैप सेंटर की भूमि, मशीनरी एवं मैनपावर संबंधी समस्त बिंदुओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

6.3 यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की जाती है तो आवेदक को पूर्ति करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा तथा उसके पश्चात भी यदि आवेदक नियमानुसार वांछित दस्तावेजों की पूर्ति करने में विफल रहता है तो आवेदन को निरस्त करने से पूर्व पंजीयन अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

7. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अपेक्षित मशीनरी/ उपकरणों का विवरण -

1. Shredder/Bailing Press for Compacting/any suitable device
2. AC gas Recovery unit
3. Vehicle Lift
4. Auto Shear machine for cutting catalytic converter
5. Air Bag Deployment unit
6. Filter wrence /oil Filter Removal Tool
7. Wheel Popper
8. a Piercing equipment for damper oil
9. Suction equipment for fluid
10. Bleeding system for brake fluid
11. Dedicated Fluid collection container
12. Hydraulic tube cutter
13. Pneumatic saw
14. Portable power tool
15. Draining Tray
16. Pry bar/Spanner/Ratchet/mallet
17. Screw driver/Slot screw driver/Impact screw driver
18. Cutter/cutting pliers/Special Pliers
19. Center Punch & bag (for glass breakage & collection)
20. Windshield removal tool
21. Pneumatic air gun
22. Water supply

8. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अपेक्षित जनशक्ति(Manpower) का विवरण -

क्र. स.	कर्मचारी	न्यूनतम संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1.	सेंटर हैड/मैनेजर	01	बी.टेक (ओटोमोबाईल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रनिक्स / कैमिकल इंजिनियरिंग)
2.	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (डीबीए)	01	पी.जी.डी.सी.ए./बी.सी.ए/ए लेवल की योग्यता के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव
3.	ड्राईवर	02 (एक हल्के मोटर यान एवं एक परिवहन यान हेतु)	प्रत्येक श्रेणी हेतु कम से कम 3 वर्ष पुराना ड्राईविंग लाईसेंस
4.	लैन इंचार्ज / सुपरवाइजर	01 (प्रति लैन)	आई.टी.आई / डिप्लोमा (मेकेनिकल/ऑटोमोबाईल)
5.	मेन्टीनेंस टेक्नीशियन	01	आई.टी.आई/डिप्लोमा (मेकेनिकल/ इलिक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रानिक्स)
6.	लेबर	कार्य की आवश्यकता अनुसार	

9. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया-

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 10 में उल्लेखित प्रकिया के अनुसार वाहनों की स्क्रैपिंग की कार्यवाही की जायेगी।

10. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा अनियमितता किए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही-

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना किये जाने में विफल रहने अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता किए जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 9 में उल्लेखित प्रकिया अपनायी जाकर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या निरस्त करने और प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) जब्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनियमितता पाये जाने पर उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

11. अपील -

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के स्वामी/संचालक द्वारा मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 9 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या निरस्त करने और प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) जब्त करने के आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नियम 15 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं यथा विनिर्दिष्ट शुल्क सहित अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

12. ऑडिट एवं विभागीय जांच संबंधी प्रावधान -

12.1 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के आवेदन किये जाने के उपरांत रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की जांच करवायी जाने के उपरांत स्क्रैपिंग सुविधा की भूमि ,मशीनरी , मैनपावर इत्यादि की वस्तु सिथति हेतु विभागीय अधिकारी/जांच दल से निर्धारित प्रारूप में जांच करवायी जायेगी।

12.2 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) नियम 2021 के नियम 14 में उल्लेखित ऑडिट तथा आईएसओ(ISO) प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

12.3 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक 6 माह में नियमित रूप में अथवा अपवादित परिस्थितियों में किसी भी समय विभागीय अधिकारी/जांच दल से स्वचालित परीक्षण केन्द्र की आकस्मिक जांच करवायी जाएगी। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों की अवहेलना में संचालक की शिकायत प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विशेष जांच करवायी जा सकेगी।

13. **पूर्व में पंजीकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा / जारी प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र / प्राप्त आवेदनो के संबंध में कार्यवाही**:-

13.1 पूर्व में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा उक्त दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर उक्त दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पूर्ण पालना कर इस आशय का साक्ष्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निलंबन/ निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

13.2 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों में उक्त दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण कर आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा।

14. अन्य प्रावधान:

उक्त के अतिरिक्त पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की मान्यता, विनियमन एवं नियंत्रण हेतु मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण एवं कार्य) के समस्त प्रावधान एवं समय-समय

पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, नियमों एवं अन्य दिशा-निर्देशों के प्रावधान भी लागू होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार परिशिष्ट।

शासन सचिव एवं आयुक्त,
परिवहन एवं सडक सुरक्षा

(Annexure-1)

Bank Guarantee Format

To,
The Commissioner,
Transport & Road Safety Department
Sahkar Marg, Jaipur
Rajasthan

Dear Sir,

M/s ___________ having its registered office at ____________and its scrapping yard at .... (hereinafter called " and its ") as a part of an application for Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) of End of Life Vehicles to the Transport Commissioner, Government of Rajasthan having its office at Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur (hereinafter referred to as the "Registration Authority") have agreed to deposit as Earnest Money deposit with the Registration Authority by way of Bank Guarantee of 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs only) (hereinafter referred to as "Bank Guarantee") which will be issued to the Registration Authority along with the application of Registered Vehicle Scrapping Facility for scrapping of End of Life Vehicles and complete dismantling disposal of non-reusable parts of Motor Vehicles and issuance of Certificate of Vehicle Scrapping to the registered owner of Motor Vehicles (hereinafter referred "Application") by (RVSF) to the Registration Authority.

We _____________ having registered office at ____________ and acting through its branch office at _______ (hereinafter called as "the Bank expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successor and assigns) being the Guarantor under this Bank Guarantee, hereby irrevocably and unconditionally undertake to forthwith and immediately pay to the Registration Authority a sum of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs only) without any demur, merely on demand of Registration Authority and submitting a written claim or demand along with a copy of the order passed by the Registration Authority against... (RVSF) for any violation of issued under Rules Motor Vehicle (Registration and Function of Vehicle Scrapping Rules, 2021, dated 23.09.2021. We the Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force from the date of application for a period of ten years (the initial registration period) plus 60 days plus 90 days till released by the Registration Authority. We the Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Registration Authority in writing.

Any claim or dispute arising under the terms of this document shall only be enforced or settled in Courts at Jaipur.

The guarantor hereby declares that it has the power to execute this Bank Guarantee and the executant has full powers to do so on its behalf under the authority granted to him by the guarantor.

Further, the Bank certifies that this Bank Guarantee is adequately stamped under the relevant State Stamp Act and any deficiency in execution of this Guarantee shall not have the effect of relieving them.

BG AMOUNT: Rs.10,00,000/- (Rupees Ten lakhs only)
ISSUE DATE:
EXPIRY DATE (Ten Years + 60 days:+ 90 days):
CLAIM DATE:

Notwithstanding anything contained herein before:

1. Our liability under this Bank Guarantee shall not exceed Rs. 10,00,000/-(Rupees ten lakh only)
2. This bank Guarantee shall be valid up to... (Expiry Date)
3. We are liable to pay the guarantee amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if the Registration Authority serves upon the Bank a written claim or demand on or before (the expiry date) along with a copy of order for any violation of above guidelines for scrapping of vehicles (post hearing the contention of M/s..
4. All claims under this guarantee shall be payable at Jaipur, Rajasthan.
5. All claims under this guarantee to be presented in original and payable at
6. This Guarantee will be returned to us as soon as the purpose for which it is issued is fulfilled
7. The Bank Guarantee Confirmation letter No. the Bank Guarantee No .... is an integral part of

For (the Bank)
Signature........
Official Address..
Designation......
Bank's Common Seal.